उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–6
संख्या–297 / सत्तर–6–2014–94 / 2006
लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2014

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 99 / रा०उ०शि०प० / 20
दिनांक 26.05.2014

आदेश

कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक–सम्बद्धता / 3557 दिनांक 03–02–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक–सम्बद्धता / 2389 दिनांक 08–10–2012 द्वारा ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के प्रमाणपत्र को संलग्नकर संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या–732 / सत्तर–6–2013–94 / 2006 दिनांक 12 जुलाई, 2013 के क्रमांक- 5 द्वारा प्रश्नगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया था। शासन के उक्त पत्र के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 28–10–2013 द्वारा संदर्भगत संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया था।

(2) कुलसचिव के उपर्युक्त पत्र दिनांक 03–02–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 द्वारा ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लाट नम्बर–2, के.पी. 1, ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0 के अल्पसंख्यक स्टेटस को निरस्त कर दिया गया है। मा0 आयोग के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:–

> "For the reasons discussed above we are of the opinion that the petitioner institution has obtained minority status certificate from the Commission by Suppressing material fact relating to their religious status of the members of the Ishan Educational Research Society.
>
> For the foregoing reasons, minority status certificate issued to the petitioner institution vide order dated 04.06.2012 is hereby cancelled."

अतः उक्त के क्रम में कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा संदर्भगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में 'ट्रीट' किये जाने विषयक आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

(3) उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जिन संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में "ट्रीट" किये जाने की कार्यवाही की जाती है। प्रश्नगत ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–420 / 2011 / 62191 दिनांक 18 जुलाई, 2012 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 04 जून, 2012 द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया था। संस्था द्वारा शासन को प्रेषित प्रत्यावेदन में बौद्ध धर्म होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या–732 / सत्तर–6–2013–94 / 2006 दिनांक 12 जुलाई, 2013 के क्रमांक–5 द्वारा प्रश्नगत संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया था।

............क्रमशः

(4) अब जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 द्वारा संदर्भगत महाविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किये जाने विषयक निर्गत प्रमाणपत्र दिनांक 04–06–2012 को निरस्त कर दिया है तथा उक्त के क्रम में कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने शासन के आदेश दिनांक 12–07–2013 द्वारा संदर्भगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में "ट्रीट" किये जाने विषयक आदेश को निरस्त करने की संस्तुति की है। अतः उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–732/सत्तर–6–2013–94/2006 दिनांक 12 जुलाई, 2013 के क्रमांक–5 जिसके द्वारा ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, उ0प्र0 को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है, को निरस्त किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2013 के शेष प्रस्तर यथावत् रहेंगे।

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या–297(1)/सत्तर–6–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नम्बर–4 प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
5. प्रबन्धक, ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, गेटर नोयडा, उ0प्र0।
6. उच्च शिक्षा अनुभाग–2/3
7. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।